

भाग—III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जनवरी, 2017

संख्या का0आ0 13/पं0अ0 17/1887/धा0 5/2017.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887(1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ049/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ049/पं0अ017/1887/धा05/2016, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 में,—

- (i) दो बार आने वाले, "तहसील शाहबाद" शब्दों के स्थान पर, "उप-तहसील बाबैन" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
- (ii) "शाहबाद उप-मण्डल" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "थानेसर उप-मण्डल" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तियुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 24th January, 2017

No. S.O.13/P.A.17/1887/S.5/2017.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, notification No. S.O.49/P.A.17/1887/S.5/2016, dated 04th November, 2016, namely :-

Amendment

In the Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, notification No. S.O.49/P.A.17/1887/S.5/2016, dated the 4th November, 2016, :-

- (i) for the words "tahsil Shahbad" occurring twice, the words and sign "sub-tahsil Babain" shall be substituted; and
- (ii) for the words and sign "Shahbad Sub-Division", the words and sign "Thanesar Sub-Division" shall be substituted.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.